

23/10/24

पशावली आज पेशी में ली गई। DR
हुमानगढ़ के पंजांक LR/24/3382 डिजांक
3/9/24 द्वारा अवगत कराया गया है कि

पक्ष 2 गरीब खाता सं. 170 वादी का हकल
खाता होने के कारण विभाजन प्रस्ताव विजयाने
का औचित्य नहीं बनता है पशावली अनुतोष
में वादी द्वारा याचित रकबा पतावंडी

पक्ष 2 गरीब खाता सं. 170/115 कादारी
1.670 ई. की अलग जारी हो चुकी है
इतलिये वाद पक्ष में विभाजन प्रस्ताव
विजयाने की आवश्यकता नहीं है इतलिये

वाद पक्ष Default में खारिज कर पशावली
काविल कपल की जाती है

01/24
सहस्र क्लेक्टर
एवं उपनिष्ठाधिकारी
हुमानगढ़